सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या – 507 राँची, सोमवार, 17 अक्टूबर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

6 अक्टूबर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-22/2018-17524 (HRMS)--श्री गौरांग महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-855/03, गृह जिला-प० सिंहभूम), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के विरूद्ध उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-769, दिनांक 27.08.2018 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में श्री महतो के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

आरोप सं०-1- रामगढ़ जिलान्तर्गत रामगढ़ प्रखंड के नरेगा योजना सं०-07/2006-07 के क्रियान्वयन से पूर्व तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री गौरांग महतो द्वारा योजना स्थल की भूमि की जांच नहीं की गई ।

आरोप सं०-2- उप विकास आयुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति आदेश के शर्त/निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया ।

आरोप सं०-3- उपरोक्त तालाब निर्माण योजना का ले आउट स्थल पर कार्य नहीं होने से संबंधित प्रतिवेदन तत्कालीन कनीय अभियंता एवं पंचायत सेवक से प्राप्त होने के बाद भी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा श्री नागेश्वर मुण्डा को कुल 13,100/- रू0 का भुगतान किया गया ।

आरोप सं०-4- योजना सं०-07/2006-07 के क्रियान्वयन हेतु आम सभा की कार्यवाही, अभियंता द्वारा की गई तकनीकी स्वीकृति, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ एवं श्री नागेश्वर मुण्डा, अध्यक्ष तथा श्री रामदेव मुण्डा, सचिव के बीच हुए एकरारनामा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्यादेश में से किसी भी दस्तावेज में कार्य स्थल का प्लॉट संख्या एवं खाता संख्या जान-बूझकर अंकित नहीं किया गया ।

आरोप सं०-5- योजना सं०-07/2006-07 के क्रियान्वयन में 13,100/- रू० की सरकारी राजस्व की क्षति हुई ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7269, दिनांक 26.09.2018 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री महतो के पत्रांक-1216, दिनांक 13.10.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री महतो के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9066, दिनांक 13.12.2018 द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-659/गो०, दिनांक 29.06.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री महतो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, रामगढ़ से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-26958;(HRMS) दिनांक 22.11.2019 द्वारा श्री महतो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-76, दिनांक 27.02.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री महतो के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

श्री महतो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के बिन्दु अंकित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(iv)के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक के प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-5278, दिनांक 16.10.2020 द्वारा श्री महतो से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री महतो द्वारा पत्र, दिनांक 10.11.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री महतो द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

(i) उप विकास आयुक्त के ज्ञापांक-208, दिनांक 19.01.2007 द्वारा स्वीकृत योजना से संबंधित आदेश की कंडिका-09 के संदर्भ में प्रतिवेदित है कि अंचल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में विगत 05 वर्षों में योजना स्वीकृति/कार्यान्वयन की जानकारी नहीं दी गयी थी। जिला राजस्व द्वारा सहाय्य मद में स्वीकृत तालाब का खाता सं०-84, प्लॉट सं०-3710, किस्म गैरमजरूआ खास था, जबकि मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत तालाब का खाता सं०-41, प्लॉट सं०-3201 एवं 3296, किस्म रैयती है। सहाय्य मद अन्तर्गत स्वीकृत स्थल पर तालाब निर्माण न कराकर परिवर्तित स्थल पर निर्माण की गई थी। फलस्वरूप पूर्व में निर्मित तालाब की जानकारी नहीं हो पायी ।

(ii) उक्त योजना में दिनांक 13.03.2007 को प्रथम भुगतान दस हजार रूपये, पंचायत सेवक एवं कनीय अभियंता के अनुशंसा पर की गई है, जिसका मस्टर रॉल भी संधारित था। दिनांक 16.10.2007 को द्वितीय भुगतान 3,100/- रूपये मापी पुस्त में दर्ज मापी एवं पंचायत सेवक तथा कनीय अभियंता के अनुशंसा पर हुई है। उक्त दोनों भुगतान दिनांक 01.06.2007 के पूर्व अर्थात

मामला संज्ञान में आने के पूर्व की गई है। मामला संज्ञान में आते ही उनके द्वारा स्थल जाँच किया गया एवं उसके पश्चात् भुगतान नहीं की गई ।

श्री महतो से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री महतो का यह कथन स्वीकार योग्य है कि संबंधित मनरेगा योजना सं०-09/06-07 का कार्य प्रारंभ के पूर्व लाभुक के आवेदन पर संबंधित अंचल अधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था। अंचल अधिकारी द्वारा पाँच वर्षों में योजना स्वीकृति/क्रियान्वयन की जानकारी नहीं दी गई थी। फलस्वरूप श्री महतो द्वारा योजना एकरारनामा के पश्चात् 10 हजार रूपये अग्रिम दी गयी थी एवं कनीय अभियंता तथा पंचायत सेवक के अनुशंसा पर पुनः तीन हजार रूपये मजदूरों के भुगतान हेतु दी गई ।

किन्तु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त योजना में 13,000/- रूपये के सरकारी राशि की भुगतान हुई है। यदि योजना कार्य आरंभ करने के पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा स्थल भ्रमण किया गया होता तो मामला पूर्व में ही संज्ञान में आ जाता। स्पष्ट है कि योजना के कार्यान्वयन में चूक हुई है। फलस्वरूप 13,000/- रूपये का गलत भुगतान हुआ है ।

अतः समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री गौरांग महतो, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(iv)के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री गौरांग महतो, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	GAURANG MAHTO JHK/JAS/54	श्री गौरांग महतो, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(iv) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 507 – 50